



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला-दतिया

1. गजराज सिंह पुत्र छक्कीलाल
2. धन सिंह पुत्र राजधर
3. मंगल पुत्र दुर्गे कुशवाह
निवासीगण- गुमानपुरा तहसील
सेवड़ा, जिला-दतिया (म.प्र.)
..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह
गुर्जर
2. हरगोविन्द पुत्र छोटेलाल जाटव
निवासीगण- गुमानपुरा तहसील सेवड़ा
जिला-दतिया (म.प्र.)
..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील सेवड़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1- यहकि, अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा अपनी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 86/1 रकबा 0.16, 246/1 रकबा 0.30 एवं सर्वे क्रमांक 193/367/1 रकबा 0.10 हेक्टेयर स्थित ग्राम मौजा बालमपुर तहसील सेवड़ा का सीमांकन हेतु आवेदन-पत्र तहसील सेवड़ा, जिला-दतिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो तहसीलदार सेवड़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/अ-12/ 2010-11 पर पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 08.09.2011 से स्वीकार किया गया था। इस सीमांकन कार्यवाही में मैद्धिया कृषकों एवं हितबद्ध व्यक्ति आवेदकगणों की सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया था।

2- यहकि, तहसीलदार सेवड़ा के आदेश से व्यर्थित होकर आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला-दतिया के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 50/2010-11 प्रस्तुत किया गया था, जो कलेक्टर, जिला-दतिया द्वारा दिनांक 16.01.2012 से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 08.09.2011 अपास्त किया गया था और प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ

3

दि. 31-10-12
मि. क. क. डी. व. एल.
31-10-12

R-3914-I 12

6-11-12

31-10-12
K. K. D. V. E. L.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं प्रतिवादी पक्षों आदि के हस्ताक्षर
31/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील सेवदा जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-3/अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22/10/2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p>(आर0के0 जैन)</p> <p>सदस्य</p>	